न्यायालयः—सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (पाली)

पीठासीन अधिकारी :—श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 95 / 2018
प्रकरण दर्ज तिथि :— 27.07.2018
जीसीएमएस नम्बर :— 2012 / 00155

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. समदरदेवी पत्नि श्री हीरालाल जाति बावरी निवासी चण्डावल नगर तहसील सोजत		1. मुकेश पुत्र बींजलदास जाति कामड निवासी रानीवाल तहसील जैतारण 2. नर्बदादेवी पत्नि उदा जाति बावरी निवासी खेड़ामामावास तहसील जैतारण 3. बींजाराम पुत्र उदा जाति बावरी निवासी खेड़ामामावास तहसील जैतारण 4. रूघा पुत्र नवला जाति बावरी निवासी निमाज तहसील जैतारण 5. कालुराम पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी रीड तहसील परबतसर 6. गोरधनलाल पुत्र हीराराम जाति बावरी निवासी हाजीवास तहसील रायपुर 7. रूकमा पत्नि शंकरलाल जाति नायक निवासी बिराटियाकलां तहसील रायपुर 8. विमला पत्नि श्यामसिंह जाति नायक निवासी बिराटियाकलां तहसील रायपुर 9. कौशल्या पत्नि मदनलाल जाति बावरी निवासी बिराटियाकलां तहसील रायपुर 10. शिवनाथ पुत्र आईदान जाति बावरी निवासी निमाज तहसील जैतारण (हटाया गया) 11. तहसीलदार रायपुर

दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत
धारा 53 एवं 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री सुरेश चौधरी अधिवक्ता वादीया उपस्थित
2 श्री गौतम गहलोत, श्री श्याम गहलोत एवं श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित

निर्णय

दिनांकः 11/07/2022

वाद्दी की ओर से वकील श्री सुरेश चौधरी द्वारा राजस्व वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा वाद अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधियिम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया हैं। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह हैं कि सरहद मौजा बिराटिया कलां पटवार हल्का बिराटिया कलां तहसील रायपुर की आराजी खसरा नम्बर 08 रकबा 51.07 बीघा में वादिया की खातेदारी व कब्जा काश्त की खरीदसुदा भूमि 120 / 1027 वां का रकबा 06 बीघा भूमि स्थित आती हैं। जिसकी वादीया के रेकर्डड खातेदार काश्तकार सुनिता पत्नि संतोष कुमार व सुशीला पत्नि नेमींचन्द जातिवान खटीक निवासीगण रायपुर से जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के खरीद की है व मौके पर कब्जा भी वादीया का ही है एवं मौके पर वादीया के कब्जा काश्त अनुसार इस भूमि का नजरी नक्शा बनाकर वादपत्र के साथ पेश कियां गया है। जिसमे वादिया की भूमि अलग से दशाई गई हैं। नकल जमाबंदी वाद के साथ पेश की हैं।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

उक्त आराजी के खातेदार सुनीता व अन्य का हक हिस्सा मौके पर आपसी सहमति से बंटा हुआ था व उसी माफिक विक्रेता सुनिता व अन्य का मौके पर कब्जा व काश्त था तब विक्रेता सुनिता व सुशीला ने अपने हक हिस्से की आराजी बैचान करते समय उसी स्थान का कब्जा केता वादीया को सौंपा है जिसका नजरी नक्शा बनाकर वादपत्र के साथ पेश किया है तथा खरीद के समय से ही वादीया का इस भूमि पर कब्जा व काश्त चला आ रहा हैं। वादीया अपने हक हिस्से की भूमि पर खातेदार व काश्तकार के रूप में काबिज है वादीया अपने हक हिस्से की भूमि पर काली मिट्टी व उपयोगी खाद वगै डालकर के भूमि को उपजाउ बनाकर आधुनिक तरीके से काश्त करना चाह रही है लेकिन उक्त आराजी वादीया व प्रतिवादीगण के बीच राजस्व रेकर्ड में शामलाती दर्ज है। जिसका अभी तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाडा नहीं हुआ हैं जबकि वादीया बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के अपने हक हिस्से की भूमि का बंटवाडा करवाना चाहती हैं। लेकिन प्रतिवादीगण ने ऐसा बंटवाडा करने से इन्कार कर दिया।वादीया अपने हक हिस्से की आराजी की बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा कराने की अधिकारीणी होने से उक्त वाद बंटवाडा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत हैं। उक्त विवादित भूमि के वादीया रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं एवं मौके पर वादीया का कब्जा भी हैं, लेकिन प्रतिवादीगण की नियत खराब होने से वह जबरदस्ती वादीया के कब्जे काश्त व कब्जे के हस्तक्षेप व दखलंदाजी कर रहे हैं। वादीया व उसके पति ने भारा राशि लगाकर जमीन खरीदी हैं व उसको उपयोगी बनया है अब यदि प्रतिवादीगण लाठी लकडी के बल पर वादीया को इस आराजी से बेदखल कर देते हैं तो वादीया को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रतिवादी तहसीलदार रायपुर को भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं, जिन्हे आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। उक्त बंटवाडा व निर्णय व डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का सादिर फरमावें कि राजस्व मौजा बिराटिया कलां पटवार हल्का बिराटिया कलां की आराजी खसरा नम्बर 08 रकबा 51.07 बीघा में वादिया की खातेदारी व कब्जा काश्त की खरीदसुदा भूमि 120/1027 वां का रकबा 06 बीघा भूमि स्थित हैं। आराजी का माफिक नजरी नक्शें में दर्शाये अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा किया जाकर खाता अलग किया जाकर लगान बांटा जावें। मौके पर पत्थर गढी कर नेखम बंदी की जावे व वादीया के हक हिस्से की भूमि का राजस्व रेकर्ड में तरमीम की जावें। इस आशय की बंटवाडा की डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमावें। वादपत्र में वर्णित आराजी में वादीया माफिक अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करें एवं प्रतिवादीगण स्वयं उनके नौकर–चाकर, हाजी एजेन्ट, किसी प्रकार से कोई दखलंदाजी व हस्तक्षेप व बाधा पैदा नहीं करे ऐसा करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें एवं स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण के अनुतोष का निवेदन किया हैं।

अतः वादी का वाद पत्र, प्रार्थना पत्र (संख्या 43/2013 अनवान रूघाराम वगै बनाम समदरदेवी वगै) अन्र्तगत धारा आदेश 09 नियम 13 सीपीसी का स्वीकार होने से पुनः दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 04 रूघा पुत्र नवला, प्रतिवादी संख्या 3/1 नर्बदादेवी पत्नि उदा एवं प्रतिवादी संख्या 3/3 बीजाराम पुत्र उदा की ओर श्री डूंगरसिंह अधिवक्ता ने जबावदावा प्रस्तुत किया, जो शा.मि किया गया हैं। प्रस्तुत जबावदावा संक्षिप्त विवरण यह है कि खसरा नम्बर 08 पर शिवनाथ का जो हिस्सा था, उसने अपना हिस्सा सुनीता पत्नि सन्तोषकुमार व सुशीला पत्नि नेमीचन्द्र, जाति खटीक को विक्रय

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

किया, किन्तु उन्होंने वादग्रस्त भूमि में कभी भी कब्जा प्राप्त नहीं किया, तथा उसके बाद उक्त भूमि को विष्णु सोनी व हरिश सोनी ने मिलकर बेनामी दस्तावेज वादीया के नाम तैयार किये वभूमि को कय करना बताया, किन्तु पूर्व स्वतःधारी शिवनाथ ने भूमि बेचने के बाद कभी भी सुशीला व सुनीता ने कब्जा नहीं किया, इसलिये 12 वर्ष से अधिक का समय गुजर चुका हैं। इस कारण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हम प्रतिवादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार बन चुके, इसलिये वादीया को यह वाद पेश करने को कोई अधिकार नहीं है, विकल्प में यदि 12 वर्ष की अवधि को माननीय न्यायालय नही माने, तो भी भूमि अनुसूचित जाति की है, जिसे वादीया के नाम से स्वर्ण जाति के व्यक्ति विष्णु सोनी व हरिश सोनी ने बेनामी दस्तावेज तैयार कर भूमि को खरीदना बताया हैं, जिस हेतु धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भूमिधारी अधिनियम के तहत भूमि धारी तहसीलदारजी रायपुर को सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कर उक्त भूमि जो शिवनाथ के हिस्से की भूमि राज्य सरकार के खाते में दर्ज करने के आदेश फरमावें। अधिवक्ता श्री डूंगर सिंह ने एक प्रार्थना पत्र पेश बताया कि श्रीमान् के न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिकी व अन्तिम डिकी निरस्त कर दी गई फिर भी वादीगण व कुछ प्रतिवादीगण भूमि का विकय कर रहे हैं तथा भूमि में मलबा डाल रहे हैं, रेकर्ड की पूर्व स्थिति बाबत् आदेश प्रदान करावें तथा मौके पर डाला गया मलबा हटाने का आदेश प्रदान करावें।

वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) सीपीसी के तहत पेश किया, जो शा. मि. किया गया, प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं करने से अधिवक्तागण की उभयपक्ष बहस समायत कर स्वीकार किया गया एवं वर्तमान जमाबन्दी अनुसार प्रतिवादी संख्या 3/2 देहान्त हो चुका हैं एवं प्रतिवादी संख्या 3/2 फौतेदगी नामान्तरण 2161 के अनुसार नर्बदा पत्नि उदा एवं बींजाराम पुत्र उदा के नाम भरा गया हैं। उक्त वाद में नर्बदा पत्नि उदा प्रतिवादी संख्या 3/1 एवं बींजाराम पुत्र उदा 3/3 पहले से पक्षकार हैं इसलिये प्रतिवादी संख्या 3/2 का नाम वादपत्र से हटाया जाने के आदेश दिये गये हैं।

प्रार्थी श्री मुकेश पंवार पुत्र बींजलदास जाति कामड निवासी जैतारण तथा प्रार्थी श्री कालूराम पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी रीड तहसील परबतसर व श्री गोरधन लाल पुत्र हीराराम जाति बावरी निवासी हाजीवास ने जरिये अधिवक्ता श्री जसवंत सिंह सांखला की ओर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी मय वकालतनामा पेश किया, जो शा. मि. किया गया। प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं करने से अधिवक्तागण की उभयपक्ष बहस समायत कर स्वीकार किया गया, प्रार्थना पत्र में प्रार्थी श्री मुकेश पुत्र बींजलदास ने प्रतिवादीगण सख्यां 01 सोहनी व 02 भैरिया से उक्त विवादित भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्ट्री खरीद करने से प्रतिवादीगण सख्यां 01 सोहनी व 02 भैरिया के स्थान पर श्री मुकेश पुत्र बींजलदास को आवश्यक पक्षकार बनाने के आदेश दिये गये। प्रार्थी श्री कालूराम एवं प्रार्थी श्री गोरधन ने प्रतिवादीगण संख्या 05 श्री हनुमान पुत्र छेलाराम जाति सरगरा निवासी जैतारण से उक्त विवादित भूमि का कुछ हिस्सा जरिये रजिस्ट्री खरीद करने से प्रार्थी श्री कालूराम एवं प्रार्थी श्री गोरधन आवश्यक पक्षकार बनाने के आदेश दिये गये। संशोधित शीर्षक पेश हुआ जो शा.मि. किया गया हैं।

वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 08,07,01,05,06,09, की ओर शपथपत्र एवं सहमति पत्र पेश किया, जो शा.मि. किया गया हैं।उक्त शपथ पत्र एवं सहमति पत्र में ग्राम बिराटिया कलां के खसरान 08 रकबा 51 बीघा 07 बिस्वा का बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

वादपत्र पेश किया हुआ हैं।जिसमें दिनांक 01.11.2012 को प्राथमिक आदेश किया हुआ था। जिसकी पालना में तहसीलदार रायपुर ने दिनांक 16.01.2013 को तहसीलदार रायपुर ने जो प्राथमिक डिकी की पालना रिपोर्ट पेश कि जो मौके पर कब्जे काश्त अनुसार सही थी। उस रिपोर्ट से मैं शपथग्रहिता सहमत हूं। तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश रिपोर्ट स्वीकार होने से उस अनुसार पुराने खातेदारों के द्वारा अपने कब्जे एवं हिस्से को नये खातेदारों का नाम मानते हुए अंतिम डिकी जारी की जाती हैं तो मुझ शपथग्रहिता को कोई उजर एतराज नहीं हैं।

प्रतिवादीगण संख्या 02, 03, 04 की ओर से प्रार्थना पत्र अधिवक्ता नियुक्त करने बाबत् पेश किया। जो शा. मि. किया गया हैं। उक्त प्रकरण में वादीया एव प्रतिवादीगण के मध्य आपसी समझाईश एवं लोक अदालत की भावना से उक्त प्रकरण मे राजीनामा हो चुका हैं। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री डूंगर सिंह नियुक्त हैं, उनसे हम संतुष्ट नहीं है तथा उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से पैरवी हेतु जो अधिवक्ता को मेहनताना तय किया था, वो संपूर्ण राशि अदा की जा चुकी हैं। उनका कोई मेहनताना भी बकाया नहीं हैं। हमारे द्वारा प्रकरण का निस्तारण करने हेतु अधिवक्ता को निवेदन करने पर भी उपस्थित नही हो रहे हैं। उक्त प्रकरण में राजीनामा हेतु अन्य अधिवक्ता मुकर्र कर निस्तारण करवाना चाहते हैं। प्रतिवादीगण 02, 03, 04 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम गहलोत का वकालतनामा पेश हुआ, जो शा. मि. किया गया। वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता की ओर से दिनांक 31.03. 2021 को प्रार्थना पत्र आवश्यक सुनवाई हेतु पेश किया। जो शा. मि. किया गया। अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में तारीख पेशी 15. 04.2021 नियत हैं, परन्तु वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य प्रमुख व्यक्तियों की समझाईश से राजीनामा हो गया हैं तथा आज पक्षकारान न्यायालय में उपस्थित आये है, अतः आज ही राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण निस्तारण करवाना चाहते हैं, अतः पत्रावली न्यायहित में आज ही तलब कर सुनवाई के आदेश प्रदान करावें। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्रावली आज पेशी पर ली गई।

प्रतिवादी गण संख्या 01, 05, 07, 08, 09, की ओर से श्री गौतम गहलोत एवं श्री जसवं सिंह सांखला ने वकालतनामा प्रस्तुत किया , जो शा.मि. किया गया। वादिया, प्रतिवादीगण एवं उनके अधिवक्तागण ने सम्मिलित रूप से राजीनामा, आपसी बंटवाड़ा एवं नज़री नक्शा प्रस्तुत किया, जो शा. मि. किया गया एवं राजीनामा तस्दीक किया गया। राजीनामा में वादीया एवं प्रतिवादीगण इस प्रकरण में नयायालय हाजा दिनांक 01.11.2012 को जारी प्राथमिक डिकी एवं दिनांक 24.01.2013 को जारी अंतिम डिकी के अनुसार एवं तहसीलदार रायपुर के पत्र कमांक/राजस्व/2013/62 दिनांक 16.01.2013 के साथ संलग्न हल्का पटवारी द्वारा तैयार नजरी नक्शे में अंकित खसरा नम्बर 8/1 में 1/2 पूर्व की तरफ हाजीवास जाने वाली सडक के पास रूघा प्रतिवादी संख्या 4 का व खसरा नम्बर 8/1 में 1/2 हिस्सा पश्चिमी तरफ बींजाराम प्रतिवादी संख्या 3 का रहेगा। इस प्रकार बंटवाड़ा करने से स्वेच्छा से राजी हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण वादपत्र को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। वाद का खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करेगे। जरिये राजीनामा डिकी किये जाने आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

आपसी बंटवाडा में रूगा पुत्र नवला जाति बावरी निवासी निमाज हाल निवासी खेडा देवगढ, बींजाराम पुत्र उदा जाति बावरी निवासी निमाज हाल निवासी खेडा देवगढ़, नर्बदादेवी पत्नि उदा जाति बावरी निवासी निमाज हाल निवासी खेडा देवगढ, मुकेश पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

बींजलदास जाति कामड निवासी रानीवाल तहसील जैतारण, समदरदेवी पत्नि हीरालाल जाति बावरी निवासी चण्डावल तहसील सोजत, कालूराम पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी रीड, रूकमा पत्नि शंकरलाल जाति नायक निवासी बिराटियाकलां, विमला पत्नि श्यामसिंह जातिम नायक निवासी बिराटियाकलां, कौशल्या पत्नि मदनलाल जाति नायक निवासी बिराटियाकलां, गोरधनलाल पुत्र हीरालाल जाति बावरी निवासी हाजीवास की खातेदारी भूमि ग्राम बिराटियाकलां पटवार हल्का बिराटियाकलां की जमाबंदी के खाता संख्या 496,53,564,624,495,717 किस्म बारानी अब्वल विभाजन किया गया हुआ हैं जो मौके पर कब्जा काश्त है व रूगाराम के हिस्से की भूमि में से बीजाराम व नर्बदादेवी में जाने का रास्ता नहीं रहेगा। जिसमें हम निम्न प्रकार से आपस में राजीनामा से नजरी नक्शे अनुसार बंटवाडा करना चाहते हैं, जो इस अनुसार हैं:–

क्र. स.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा / हैक्टर	किस्म	लगान
1	रूगा पुत्र नवला जाति बावरी निवासी निमाज हाल निवासी खेडा देवगढ, बींजाराम पुत्र उदा जाति बावरी निवासी निमाज हाल निवासी खेडा देवगढ़, नर्बदादेवी पत्नि उदा जाति बावरी निवासी निमाज हाल निवासी खेडा देवगढ खातेदार	8/1	2.7680	बारानी अव्वल	10.60
2	मुकेश पुत्र बींजलदास जाति कामड निवासी रानीवाल तहसील जैतारण खातेदार	8	2.7761	बारानी अव्वल	97.14
3	समदरदेवी पत्नि हीरालाल जाति बावरी निवासी चण्डावल तहसील सोजत, खातेदार	8/2	0.9712	बारानी अव्वल	10.63
4	कालूराम पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी रीड खातेदार	8/3	0.2347	बारानी अव्वल	0.90
5	रूकमा पत्नि शंकरलाल जाति नायक निवासी बिराटियाकलां, विमला पत्नि श्यामसिंह जातिम नायक निवासी बिराटियाकलां, कौशल्या पत्नि मदनलाल जाति नायक निवासी बिराटियाकलां	8/4	0.8175	बारानी अव्वल	3.13
6	गोरधनलाल पुत्र हीरालाल जाति बावरी निवासी हाजीवास	8/7	0.4856	बारानी अव्वल	1.86

उपरोक्त वर्णानुसार ग्राम बिराटियाकलां पटवार हल्का बिराटियाकलां की रिपोर्ट के अनुसार हम खातेदारों ने 500 रू का एक ई स्टाम्प व दो पाई पेपर कुल तीन पेज में हम खातेदार ने उपरोक्त भूमि का खाता, खसरा नम्बरान, रकबा लगान का विभाजन हम खातेदारों की सहमति से हुआ हैं। जिसके उपर हम काबिज हैं। जो बिल्कुल सही व सत्य हैं। उक्त बंटवाडा शपथ पत्र को हमने पढवा कर सुन समझ लिया हैं।

प्रार्थीगण सिरीयादेवी पत्नि भैराराम, मुकेश पुत्र भैराराम, पूजा पुत्री भैराराम, सुनिल पुत्र भैराराम, दशरथ पुत्र भैराराम, मल पुत्र भैराराम, नाबालिग जरिये वली माता निवासी निमाज जरिये अधिवक्ता श्री डूंगर सिंह ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी मय वकालतनामा प्रस्तुत किया जो शा.मि. किया गया हैं। प्रार्थना पत्र में बताया कि खातेदार भैराराम पुत्र मांगीया बावरी प्रतिवादी है तथा सोहनीदेवी पत्नि मांगीलाल भी खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 08 रकबा 51 बीघा 07 बिस्वा भूमि हैं जिसमें सोहनीदेवी व भैरिया के नाम से 1/3 हिस्सा दर्ज रजिस्टर हैं किन्तु उक्त भूमि पूर्वजों की पैतृक भूमि हैं। उक्त भूमि को सोहनीदेवी व प्रतिवादी भैराराम ने मुकेश पुत्र बीजलदास जाति कामड निवासी रानीवाल तहसील जैतारण को विक्रय कर दी, तब प्रार्थीगण को पता चला तो उन्होंने उक्त विक्रयनामा जो पैतृक भूमि का होने के कारण तथा प्रार्थीया सिरियादेवी जो कि भैराराम की पत्नि हैं एवं बकाया प्रार्थीगण भैराराम की संतान हैं एवं सोहनीदेवी ने उक्त भूमि को विक्रय कर दी जिसको शून्य व अस्तिवहीन घोषित करने के लिए सिविल न्यायाधीश महोदय बर के न्यायालय में वाद पेश किया हैं, जिसकी प्रमाणित पेश हैं। प्रार्थीगण को इस वाद में प्रतिवादीगण पक्षकार बनाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें ताकि दिवानी न्यायालय में जो वाद विचाराधीन हैं जिसमें किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव इस वर्तमान में वाद के निर्णय से नहीं हो सके अन्यथा प्रार्थीगण को भारी क्षति होगी। वादी अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत किया, जो शा.मि हों। प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार भैराराम व सोहनीदेवी प्रतिवादी पक्षकार अवश्य थें। लेकिन उक्त भैराराम व सोहनदेवी ने अपने घर परिवार की जायज जरूरत हेतु रूपयो की आवश्यकता होने से उक्त भैराराम व सोहनीदेवी ने अपने नाम की इस वादपत्र मे वर्णित सम्पूर्ण खातेदारी को जरिये पंजीबद्ध बैचान विलेख के मुझ मुकेश पुत्र बींजलदास को दिनांक 08.06.2018 को बैचान कर दी हैं तथा मौके पर भी मुझे इस बैचान सुदा भूमि का कब्जा सौंपा जा चुका हैं एवं अदालत में श्रीमान् के समक्ष विचाराधीन इस वादपत्र में भी मैं प्रतिवादी पक्षकार के रूप मे संयोजित हूं। इस प्रकार से इस वादपत्र में वर्णित भूमि में भैराराम एवं सोहनीदेवी को कोई हक्कहिस्सा व अधिकार शेष नही रहा हैं। इसलिए उनके वारिसान प्रार्थीगण को इस वादपत्र में अब पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। भैराराम व सोहनीदेवी ने अपने घर परिवार की जायज जरूरत हेतु अपनी उक्त खातेदारी भूमि मुझ प्रतिवादी मुकेश को बैचान कर दी हैं। साथ ही इस भूमि में प्रार्थीया सिरियादेवी एवं उसके नाबालिग सन्तान का कोई हक व हिस्सा एवं अधिकार शेष नहीं रहा हैं। इसके अलावा सिरिया देवी ने मुकेश के पक्ष में किये गये बेचान विलेख को सिविल न्यायालय में चेलेन्ज किया हैं। तो उससे इस वादपत्र की प्रकृति पर किसी भी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडने से निस्तारण किये जाने योग्य कोई विधिक अड़चन नहीं हैं। साथ ही प्रार्थीगण इस वादपत्र में न तो प्रोपर पक्षकार हैं व न ही आवश्यक पक्षकार हैं। प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री डूंगरसिंह अनुपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता को बार-बार आवाजे समय 11 एएम, 3पीएम, 4पीएम पर दिलाई गई। आवाजे दिलाने के बावजूद अनुपस्थित। प्रार्थना पत्र एकपक्षीय बहस समायत की गई। बहस एवं पत्रावली का सावधानपूर्वक अवलोकन के पश्चात् उक्त विवादित भूमि में प्रार्थीगण सिरीयादेवी एवं सोहनीदेवी, ने अपना हक हिस्सा मुकेश पुत्र बींजलदास को जरिये रजिस्टर्ड बेचान कर दी हैं। अतः उक्त प्रार्थीगण इस वादपत्र में न तो प्रोपर पक्षकार हैं और न ही आवश्यक पक्षकार हैं। इसीलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का खारिज किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

वादी एवं प्रतिवादीगण अधिवक्तागण ने पूर्व में राजीनामा, आपसी बंटवाडा एवं पेश नजरी नक्शा अनुसार वादीया का वाद डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया हैं। वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता राजीनामा, आपसी बंटवाडा एवं पेश नजरी नक्शा अनुसार वाद को डिकी करवाने हेतु सहमत है। उभयपक्ष बहस समायत की गई। बहस एवं पत्रावली के अवलोकन

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

के पश्चात् वादी व प्रतिवादीगण अधिवक्तागण की सहमति के अनुसार आपसी बंटवाड़ा एवं पेश नजरी नक्शा अनुसार बंटवाड़ा की अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

वादीया का वाद बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बिराटिया कलां पटवार हल्का बिराटिया कलां तहसील रायपुर के वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन राजीनामा, पेश बंटवाड़ा एवं नजरी नक्शा अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते है, जो निम्न है :–

क्र.स.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा / हैक्टर	किस्म	लगान
1	रूगा पुत्र नवला जाति बावरी निवासी निमाज हाल निवासी खेडा देवगढ, बींजाराम पुत्र उदा जाति बावरी निवासी निमाज हाल निवासी खेडा देवगढ़, नर्बदादेवी पत्नि उदा जाति बावरी निवासी निमाज हाल निवासी खेडा देवगढ खातेदार	8/1	2.7680	बारानी अव्वल	10.60
2	मुकेश पुत्र बींजलदास जाति कामड निवासी रानीवाल तहसील जैतारण खातेदार	8	2.7761	बारानी अव्वल	97.14
3	समदरदेवी पत्नि हीरालाल जाति बावरी निवासी चण्डावल तहसील सोजत, खातेदार	8/2	0.9712	बारानी अव्वल	10.63
4	कालूराम पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी रीड खातेदार	8/3	0.2347	बारानी अव्वल	0.90
5	रूकमा पत्नि शंकरलाल जाति नायक निवासी बिराटियाकलां, विमला पत्नि श्यामसिंह जातिम नायक निवासी बिराटियाकलां, कौशल्या पत्नि मदनलाल जाति नायक निवासी बिराटियाकलां	8/4	0.8175	बारानी अव्वल	3.13
6	गोरधनलाल पुत्र हीरालाल जाति बावरी निवासी हाजीवास	8/7	0.4856	बारानी अव्वल	1.86

निर्णय के संलग्न आपसी बंटवाड़ा एवं नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा।

वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को ज़रिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। डिकी पर्चा एंव पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 11/07/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तादाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

बईजलास :– श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवाड़ा अन्तर्गत

धारा 53 92ए राज. टि.एक्ट

राजस्व वाद 95/2018

वादी

1. समदरदेवी पत्नि श्री हीरालाल जाति बावरी निवासी चण्डावल नगर तहसील सोजत

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मुकेश पुत्र बींजलदास जाति कामड निवासी रानीवाल तहसील जैतारण
2. नर्बदादेवी पत्नि उदा जाति बावरी निवासी खेडामामावास तहसील जैतारण
3. बींजाराम पुत्र उदा जाति बावरी निवासी खेडामामावास तहसील जैतारण
4. रूघा पुत्र नवला जाति बावरी निवासी निमाज तहसील जैतारण
5. कालुराम पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी रीड तहसील परबतसर
6. गोरधनलाल पुत्र हीराराम जाति बावरी निवासी हाजीवास तहसील रायपुर
7. रूकमा पत्नि शंकरलाल जाति नायक निवासी बिराटियाकलां तहसील रायपुर
8. विमला पत्नि श्यामसिंह जाति नायक निवासी बिराटियाकलां तहसील रायपुर
9. कौशल्या पत्नि मदनलाल जाति बावरी निवासी बिराटियाकलां तहसील रायपुर
10. शिवनाथ पुत्र आईदान जाति बावरी निवासी निमाज तहसील जैतारण (हटाया गया)
11. तहसीलदार रायपुर

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री सुरेश चौधरी वादी अधिवक्ता मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण श्री श्याम गहलोत एवं गौतम गहलोत व जसवंत सिंह सांखला अधिवक्तागण मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीया का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन राजीनामा अनुसार बंटवाड़ा करने के निम्नानुसार करने के आदेश दिये जाते है।

क्र.स.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा/हैक्टर	किस्म	लगान
1	रूगा पुत्र नवला जाति बावरी निवासी निमाज हाल निवासी खेडा देवगढ, बींजाराम पुत्र उदा जाति बावरी निवासी निमाज हाल निवासी खेडा देवगढ़, नर्बदादेवी पत्नि उदा जाति बावरी निवासी निमाज हाल निवासी खेडा देवगढ खातेदार	8/1	2.7680	बारानी अव्वल	10.60
2	मुकेश पुत्र बींजलदास जाति कामड निवासी रानीवाल तहसील जैतारण खातेदार	8	2.7761	बारानी अव्वल	97.14

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

3	समदरदेवी पत्नि हीरालाल जाति बावरी निवासी चण्डावल तहसील सोजत, खातेदार	8/2	0.9712	बारानी अव्वल	10.63
4	कालूराम पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी रीड खातेदार	8/3	0.2347	बारानी अव्वल	0.90
5	रूकमा पत्नि शंकरलाल जाति नायक निवासी बिराटियाकलां, विमला पत्नि श्यामसिंह जातिम नायक निवासी बिराटियाकलां, कौशल्या पत्नि मदनलाल जाति नायक निवासी बिराटियाकलां	8/4	0.8175	बारानी अव्वल	3.13
6	गोरधनलाल पुत्र हीरालाल जाति बावरी निवासी हाजीवास	8/7	0.4856	बारानी अव्वल	1.86

बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबधि मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

नीज.................... ....मुबलिक.............. ....बाबत............ .... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11/07/2022 को जारी किया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	00	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	129	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	26	00	स्टाम्प हाजरी	–		
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	18	00
मुतफरिक	–	3	00	मीजान		147	00
मीजान		29	00				

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।